धार्मकि उद्देश्यों के लयि हेलीकॉप्टर सेवा कर में 5% की कटौती

चर्चा में क्यों?

हाल ही में 54वीं [वस्तु एवं सेवा कर (Goods and Services Tax- GST)](#) परषिद की बैठक में उत्तराखंड के वत्ति मंत्री ने घोषणा की कतिीर्थयात्रयिों और पर्यटकों के लयि साझा आधार पर हेलीकॉप्टर सेवाओं पर 5% कर लगाया जाएगा।

मुख्य बदिु:

- 54वीं GST परषिद की बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय वत्ति मंत्री ने की और इसमें राज्य वत्ति मंत्रयिों ने भाग लयि।
- **केदारनाथ और बद्रीनाथ** जैसे धार्मकि उद्देश्यों के लयि हेलीकॉप्टर सेवाओं पर GST 18% से घटाकर 5% कर दयि गया है।
- **वर्तमान GST दरें:**
    - **घरेलू यात्री परविहन:** केवल इनपुट सेवाओं पर इनपुट टैक्स क्रेडटि (ITC) के साथ 5% GST (माल पर कोई ITC नहीं)।
    - **अंतरराष्ट्रीय चार्टर उड़ानें:** शून्य-रेटेड अर्थात् इस पर कोई GST लागू नहीं है क्योंकि इसे सेवाओं के नरि्यात के रूप में माना जाता है।
    - **गैर-यात्री सेवाएँ: सामान्यतः** 18% GST, अन्य गैर-यात्री हवाई सेवाओं के समान।

वस्तु एवं सेवा कर (Goods and Services Tax- GST)

- वस्तु एवं सेवा कर (Goods and Services Tax- GST) घरेलू उपभोग के लयि बेची जाने वाली अधकिांश वस्तुओं और सेवाओं पर लगाया जाने वाला मूल्य वर्द्धति कर है। GST का भुगतान उपभोक्ताओं द्वारा कयि जाता है, लेकनि इसे वस्तुओं और सेवाओं को बेचने वाले व्यवसायों द्वारा सरकार को भेजा जाता है।
- **आपूर्ति पक्ष पर लागू:** GST वस्तुओं के वनिरि्माण या वस्तुओं की बक्रिी या सेवाओं के प्रावधान पर पुरानी अवधारणा के वपिरीत वस्तुओं या सेवाओं की 'आपूर्ति' पर लागू होता है।
- **गंतव्य आधारति कराधान:** GST मूल-आधारति कराधान के वर्तमान सदि्धांत के वपिरीत गंतव्य-आधारति उपभोग कराधान के सदि्धांत पर आधारति है।
- **दोहरा GST:** यह एक दोहरा GST है जसिमें केंद्र और राज्य एक ही आधार पर एक साथ कर लगाते हैं। केंद्र द्वारा लगाया जाने वाला GST केंद्रीय GST (CGST) कहलाता है तथा राज्यों द्वारा लगाया जाने वाला GST राज्य GST (SGST) कहलाता है।
    - वस्तुओं या सेवाओं के आयात को अंतर-राज्यीय आपूर्ति माना जाएगा तथा उस पर लागू सीमा शुल्क के अतरिक्ति एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर (Integrated Goods & Services Tax- IGST) भी लगेगा।
- **GST दरें आपसी सहमति से तय की जाएंगी:** CGST, SGST और IGST केंद्र एवं राज्यों द्वारा आपसी सहमति से तय की गई दरों पर लगाए जाते हैं। GST परषिद की सफिारशि पर दरें अधसिूचति की जाती हैं।

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/helicopter-service-tax-for-religious-purposes-cut-to-5-percent